न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर
राजस्व अपील संख्या 111/2021
अनवान गंगादेवी बनाम सुखिया वगैराह

27.12.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में दिनांक 12.09.2022 को वकील अपीलांट श्री चैनसिंह राजपुरोहित एवं अपीलार्थीया गंगादेवी द्वारा प्रार्थना बाबत मिसल तलबी एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्रों में मुख्यतः यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से अपीलार्थी उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहती है। अतः पत्रावली आज ही तलब कर उक्त अपील जरिये विड्रो खारीज फरमावे। इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की प्रति रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता को दी हुई है, जिनकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई।

उक्त दोनो प्रार्थना पत्र अपीलार्थीया गंगादेवी स्वयं ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किये तथा आदेशिका में अपीलार्थीया के हस्ताक्षर की पहचान उनके अधिवक्ता श्री चैनसिंह राजपुरोहित द्वारा की हुई है। अतः अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीया की उक्त अपील जरिये विड्रोल खारीज की जाती है। प्रस्तुत दोनो प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किए जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर, सुनाया गया।

27/12/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर